तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख से जारी हुए
3/11/25	**स्टेट बनाम हरि ओम ट्रस्ट** **प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी**	

पत्रावली पेश हुई। वकुलायन फरीकेन उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 02 अभिभाषक श्री महेन्द्र कुमार कल्ला उपस्थित।

पत्रावली में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जरिये अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

1. प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 व 151 सीपीसी में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम चकगर्बी तहसील व जिला बीकानेर के खेत खसरा नंबर 1336/159 तादादी 15 बीघा में से 4.19 बिस्वा खातेदारी दर्ज है। जिसके बाबत अप्रार्थी स्टेट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 व 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी/स्टेट द्वारा अपने मूल प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है कि प्रार्थी/अप्रार्थीगण के द्वारा चकगर्बी में बिना 90 ए किये अवैध रूप से मौके पर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि मुख्य सड़क पर होने के कारण मकान बना हुआ है जिसके बाबत नगर विकास न्यास बीकानेर के यहां भू–उपयोग परिवर्तन की पत्रावली भी सन् 2019 में प्रेषित कर दी गयी है प्रार्थीनी सम्परिवर्तन करवाना चाह रही है लेकिन स्थगन आदेश होने के कारण सपरिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पा रही है। प्रार्थीनी के द्वारा दिनांक 02.02.2019 को उक्त कृषि भूमि खरीद करने के समय भी उप पंजीयक कार्यालय में उक्त ट्यूबवैल व कृषि भूमि की गणना के आधार पर शुल्क अदा की गयी तथा उप पंजीयक, बीकानेर के द्वारा मौका स्थल पर निरीक्षण किया जाकर उसकी रिपोर्ट भी बनायी गयी। प्रार्थीनी अपनी कृषि भूमि का सपरिवर्तन करवाना चाह रही है इसलिए उसे उचित कार्यवाही किये जाने बाबत समय दिया जावे तब तक प्रार्थीनी के द्वारा नवीन प्रयोजन नहीं किया

सहायक कलक्टर

जाएगा। आज भी मौके पर कृषि कार्य चालू होने के कारण अप्रार्थी को प्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 175 व 177 आरटीए के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने कोई वाद कारण प्राप्त नहीं होता है जिसके कारण भी प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। मूल वाद विधि विरुद्ध होने के कारण भी प्रथम दृष्टया तौर पर निरस्तारण किये जाने योग्य है।

2. उक्त प्रार्थना पत्र के प्रत्युत्तर में स्टेट की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

3. **उक्त प्रार्थना पत्र के संबध में उभयपक्ष की बहस का श्रवण किया** गया।

4. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा किसी प्रकार से कानून की अवज्ञा नहीं की गयी है।प्रार्थी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि मुख्य सड़क पर होने के कारण मकान बना हुआ है जिसके बाबत नगर विकास न्यास बीकानेर के यहां भू–उपयोग परिवर्तन की पत्रावली भी सन् 2019 में प्रेषित कर दी गयी है प्रार्थीनी सम्परिवर्तन करवाना चाह रही है लेकिन स्थगन आदेश होने के कारण सपरिवर्तन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पा रही है। प्रार्थीनी के द्वारा दिनांक 02.02.2019 को उक्त कृषि भूमि खरीद करने के समय भी उप पंजीयक कार्यालय में उक्त ट्यूबवैल व कृषि भूमि की गणना के आधार पर शुल्क अदा की गयी तथा उप पंजीयक, बीकानेर के द्वारा मौका स्थल पर निरीक्षण किया जाकर उसकी रिपोर्ट भी बनायी गयी। प्रार्थीनी अपनी कृषि भूमि का सपरिवर्तन करवाना चाह रही है इसलिए उसे उचित कार्यवाही किये जाने बाबत समय दिया जावे तब तक प्रार्थीनी के द्वारा नवीन प्रयोजन नहीं किया जाएगा।

5. **हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया।**

6. **इस संबंध में आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता अवलोकनीय है, जो निम्नानुसार है:–**

आदेश 07 नियम 11:– वादपत्र का नामंजूर किया जाना–
(क) जहां वह वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वार अपेक्षित किए

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है

(ङ) जहां वह डुप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है

(च) जहां वादी 9 नियम की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है

परंतु मूल्यांकन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढाया जाएगा तब तक कि न्यायालय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति, मूल्यांकन की शुद्धि करने या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढ़ाने से इंकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा।

7. इसके अतिरिक्त अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दृष्टांत RLW 2013 (1) RJ 81 इस आधार पर पेश किया गया कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तुच्छ मुकदमों को इस आधार पर जारी रखना कि इसे खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत कोई प्रावधान नहीं है। **जिसमें धारा 151 सीपीसी प्रावधानों के तहत न्यायालय अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे वाद खारिज कर सकता है।**

8. अतः हमें यह देखना है कि क्या यह वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के तहत अस्वीकार/नामंजूर किये जाने योग्य है।

9. हमारे द्वारा उक्त आदेश 07 नियम 11 सीपीसी व 151 सीपीसी के प्रावधानों के संदर्भ में प्रार्थना पत्र/वादपत्र के अवलोकन किया गया।

- यह वादपत्र/प्रार्थना पत्र स्टेट ऑफ राजस्थान की ओर से जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175–177 आरटीए के तहत

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

15.00 ... व 2.19 कुल तादाद
4.19 बीघा कृषि भूमि में बिना 90 ए किये अवैध रूप से मौके पर व्यावसायिक उपयोग हेतु राजभोग रिसोर्ट संचालित किये जाने व वादगत भूमि पर बिना भू–रूपांतरण कृषि से अकृषि (90 ए) करवाए बिना मौके पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने बाबत प्रस्तुत किया गया था। जिस पर प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 व 151 सीपीसी प्रस्तुत कर वादपत्र खारिज किए जाने व प्रार्थी को वादगत भूमि पर संपरिवर्तन करवाने बाबत छूट प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

- प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा स्वयं अपने प्रार्थना पत्र व बहस में कथन किया है कि प्रार्थी की उक्त भूमि मुख्य सड़क पर होने के कारण मकान बना हुआ है जिसके बाबत नगर विकास न्यास में भू–उपयोग हेतु पत्रावली प्रेषित की गयी है ऐसे में वादगत भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा गैर–कृषि कार्य किया जाना संभवतः प्रतीत होता है तथा वाद विधि से वर्जित हो ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं हुआ है ऐसे में प्रार्थना पत्र/वादपत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया जाना न्यायसंगत नहीं है।
- साथ ही हमारे द्वारा प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व बहस में किए गए कथनों पर मनन किया गया कि अब प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 02 प्रश्नगत भूमि को संपरितर्वतन करवाकर अकृषि कार्य में उपयोग करना चाहती है जब तक प्रकरण में 177 आरटीए के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक सपंरिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जा सकती। धारा 177 का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपितु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाए एवं राजस्व जमा करवाए कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। प्रार्थी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा धारा 151 सीपीसी के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है। अतः न्यायहित में धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर जैरकार प्रकरण अंन्तर्गत धारा 175–177 आरटीए इस शर्त के साथ खारिज

सहायक कलक्टर

किया जाता है कि प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 02, 90 दिवस के भीतर प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तित करवाने की कार्यवाही प्रारंभ कर उसकी प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करे अन्यथा इस अवधि पश्चात तहसीलदार पुनः इस प्रार्थना पत्र/दावे को रेस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर/स्टेट को आदेशित किया जाता है कि निर्णय दिनांक से तीन माह पश्चात यदि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी के भूमि रूपांतरण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं या इस हेतु आवश्यक कार्यवाही संस्थित कर राजकीय शुल्कों का भुगतान नहीं किया जाता है एवं अकृषि कार्य के प्रयोग को जारी रखा जाता है तो पुनः वाद को रेस्टोर करवा कर आगामी कार्यवाही करे।

उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 175–177 आरटीए खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर को प्रेषित की जावे। निर्णय आज दिनांक 19/11/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
शहर (बीकानेर)

कलक्टर
बीकानेर शहर